राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

संशोधन प्रार्थना पत्र संख्या 30/2016/जयपुर

मैसर्स इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड.
जयपुर ......अपीलार्थी

बनाम

1.उपायुक्त(अपील्स)द्वितीय,
वाणिज्यिक कर, जयपुर
2.सहायक आयुक्त
विशेष वृत, राजस्थान,जयपुर प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अलकेश शर्मा
अधिकृत अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक .... प्रत्यर्थी की ओर से

संशोधन आदेश दिनांक 29.05.2017

अपीलार्थी की ओर से उपर्युक्त संशोधन प्रार्थना पत्र कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.07.2016 में संशोधन हेतु प्रस्तुत किया गया है। संशोधन प्रार्थना पत्र के समर्थन में कथन किया है कि उक्त निर्णय के पैरा संख्या 2 की तीसरी पंक्ति में वर्ष 99–2000 टंकण की भूल से टंकित हो गया है जबकि वर्ष 1998–99 होना चाहिए ।

उक्त कथन के सन्दर्भ में रिकार्ड का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि टंकण की त्रुटि से निर्णय के पैरा 2 की तीसरी पंक्ति में वर्ष 1998–99 की स्थान पर वर्ष 99–2000 टंकित हो गया है। अतः संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिये जाते हैं कि निर्णय दिनांक 21.07.2016 के पैरा संख्या 2 की तीसरी पंक्ति में वर्ष 99–2000 के स्थान पर वर्ष 1998–99 पढा जावे।

इस आदेश की प्रति मूल निर्णय के साथ रखी जावे तथा जिस–जिस को निर्णय दिनांक 21.07.2016 की प्रति प्रेषित की गई है, उनको इस आदेश की प्रति भिजवायी जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष